



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-25] रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 30, 1946 शक सम्वत्) [संख्या-51

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	रु0 3075
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	1407—1442	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	1641—1649	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	405—407	975
स्टोर्स पर्चेज—स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

विज्ञप्ति/नियुक्ति

13 अक्टूबर, 2024 ई0

संख्या-1046/VII-3-24/180-उद्योग/2010-उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री माधवी भट्ट, पुत्री श्री हरीश चन्द्र भट्ट, 137/1 मेघदूत एन्क्लेव, कालीदास रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड को उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत सहायक निदेशक, उद्योग/प्रबन्धक (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग), (वेतनमान रु0 56,100-1,77,500 लेवल-10) के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल/उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर/पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी/औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- सुश्री माधवी भट्ट डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल/उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर/पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा नियमावली, 1993) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 एवं समय-समय पर यथासंशोधित तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल/उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर/पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी। अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अंतर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।

7- संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे :-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हो तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के संबंध में घोषणा।

8- यह नियुक्ति मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 202(एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 219(एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 317(एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 289(एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 301(एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 1058(एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 399(एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 583(एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 550(एस/बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 644(एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 414(एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 300(एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 53(एस/बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 72 (एस/बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 74(एस/बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 245(एस/बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 155(एस/बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या 466(एस/बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

9- संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक निदेशक, उद्योग/प्रबन्धक के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

आज्ञा से,

विनय शंकर पाण्डेय,

सचिव।

कार्यालय-ज्ञाप

27 नवम्बर, 2024 ई0

संख्या-1146/VII-3-24/374-उद्योग/2002-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 784/VII-3-24/374-उद्योग/2002, दिनांक 30 सितम्बर, 2024 के द्वारा उद्योग विभाग (उद्योग निदेशालय एवं उसके नियंत्रणाधीन कार्यालय) में श्रेणी-"क" एवं "ख" के अधिकारियों की अनन्तिम वरिष्ठता सूची निर्गत करते हुए महानिदेशक/आयुक्त, उद्योग के माध्यम से 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित अधिकारियों से आपत्तियां/प्रत्यावेदन उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

2- उक्तानुसार परिचालित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में निदेशालय के पत्र संख्या-3186, दिनांक 05 नवम्बर, 2024 के माध्यम से 03 कार्मिकों कमशः श्रीमती कविता भगत द्वारा अपना नाम एवं जन्मतिथि संशोधित किये जाने, श्री विपिन कुमार द्वारा अपना जनपद परिवर्तित किये जाने तथा श्री अमित कुमार सिंह द्वारा अपनी वरिष्ठता का निर्धारण श्री पंकज तिवारी एवं श्री दीपेश चौधरी से ऊपर किये जाने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त तीनों कार्मिकों के प्रत्यावेदनों के साथ प्राप्त प्रमाण-पत्रों, कार्यालय में धारित सुसंगत अभिलेखों एवं उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-2002 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के आधार पर उनके प्रत्यावेदनों का निस्तारण करते हुए ज्येष्ठता सूची में तदनुसार संशोधित/अध्यावधिक विवरण अंकित कर दिया गया है।

3- प्रकरण में उक्त प्रत्यावेदनों के अतिरिक्त कोई सूचना/प्रत्यावेदन उद्योग निदेशालय के माध्यम से शासन को प्राप्त नहीं हुये हैं। अतः पूर्व में कार्यालय ज्ञाप संख्या-870/VII-3-22/374-उद्योग/2002, दिनांक 30 अगस्त, 2022 द्वारा निर्गत अंतिम वरिष्ठता सूची को अतिक्रमित करते हुए तदनुसार उद्योग विभाग सेवा समूह "क" एवं "ख" की दिनांक 30 सितम्बर, 2024 के माध्यम से परिचालित अनन्तिम वरिष्ठता सूची को संलग्न विवरणानुसार अंतिमीकरण करते हुए वरिष्ठता सूची परिचालित की जाती है।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-1146, दिनांक 27 नवम्बर, 2024 का संलग्नक।

उद्योग विभाग (उद्योग निदेशालय एवं उसके नियंत्रणाधीन कार्यालय) में श्रेणी-"क" एवं "ख" के पदों पर कार्यरत अधिकारियों की अन्तिम वरिष्ठता सूची।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	शैक्षिक योग्यता	गृह जनपद	जन्म तिथि	पोषक संवर्ग श्रेणी-"ख" में मौलिक नियुक्ति का दिनांक	श्रेणी-"क" के पद पर मौलिक नियुक्ति का दिनांक	अभ्युक्ति
श्रेणी "क"							
1.	श्री शिखर सक्सेना	बी0 टैक0	रामपुर उ0प्र0	17.03.1982	18.02.2011	15.06.2016	—
2.	श्री मृत्युंजय सिंह	एम0एस0सी0	गाजीपुर उ0प्र0	10.07.1973	18.02.2011	15.06.2016	—
3.	श्री अनुपम द्विवेदी	एम0ए0, पी0एच0डी0	प्रयागराज उ0प्र0	01.02.1978	18.02.2011	15.06.2016	—
4.	श्री दीपक मुरारी	एम0एस0सी0, बी0एड0, पी0एच0डी0	नैनीताल	07.05.1975	18.02.2011	15.06.2016	—
5.	श्री चंचल सिंह बोहरा	बी0एस0सी0	चम्पावत	01.04.1976	18.02.2011	15.06.2016	—
6.	श्री विपिन कुमार	एम0ए0	नैनीताल	15.01.1981	18.02.2011	15.06.2016	कार्यालय आदेश संख्या-1120, दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 के द्वारा गृह जनपद उच्चमसिंहनगर के स्थान पर जनपद नैनीताल परिवर्तन किया गया है।
7.	श्रीमती मीरा खनका वोहरा	एम0एस0सी0, बी0एड0	पिथौरागढ़	11.08.1980	18.02.2011	15.06.2016	—
8.	श्रीमती अंजनी रावत नेगी	एम0कॉम0, बी0एड0	उत्तरकाशी	01.01.1980	18.02.2011	15.06.2016	—
9.	श्री महेश प्रकाश	बी0एस0सी0, एम0ए0, एम0एड0	पौड़ी	16.07.1972	18.02.2011	03.04.2017	—
10.	श्रीमती शैली डबराल	एम0एस0सी0, बी0एड0	टिहरी	01.08.1981	18.02.2011	03.04.2017	—
11.	श्रीमती पल्लवी गुप्ता	एम0ए0, बी0एड0	अल्मोड़ा	26.04.1981	18.02.2011	03.04.2017	—
12.	श्री राजेन्द्र कुमार	एम0ए0, बी0टी0सी0	बागेश्वर	15.11.1977	18.02.2011	03.04.2017	—
13.	श्रीमती कविता भगत	एम0एस0सी0	पिथौरागढ़	11.12.1980	18.02.2011	03.04.2017	सेवा पुस्तिका, विवाह प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-589, दिनांक 24 मार्च, 2023 के आधार पर नाम एवं जन्मतिथि संशोधित किया गया है।

14.	डा० महावीर सिंह सजवाण	एम०एस०सी०, बी०एड०, पी०एच०डी०	चमोली	11.05.1971	18.02.2011	03.04.2017	—
15.	श्री यू०के० तिवारी	एम०एस०सी०	हरिद्वार	01.07.1968	28.09.2017	27.09.2022	—
16.	श्री एच०सी० हटवाल	एम०काम०, एम०ए० (समाजशास्त्र एवं डिप्लोमा (पर्सनल मैनेजमेंट एण्ड इण्डस्ट्रीयल रिलेशनशिप))	चमोली	03.07.1965	13.08.2020	29.06.2024	—
17.	श्री सोमनाथ गर्ग	बी०एस०सी०	बिजनौर (उ०प्र०)	28.11.1966	13.08.2020	29.06.2024	—

समूह "ख"

18.	श्री यशवन्त सिंह रावत	बी०ए०, पी०जी० डिप्लोमा (मास कम्यूनिकेशन)	चमोली	01.04.1969	05.10.2021	—	—
19.	श्री पंकज तिवारी	बी०ए०	अल्मोड़ा	10.06.1975	30.06.2022	—	—
20.	श्री दीपेश चौधरी	बी०ए०	देहरादून	08.10.1982	30.06.2022	—	—
21.	श्री अमित कुमार सिंह	बी०बी०ए०	अल्मोड़ा	19.04.1982	30.06.2022	—	—
22.	श्री चन्द्रमोहन	एम०ए०	पौड़ी	15.05.1975	30.06.2022	—	—
23.	श्री राजेन्द्र प्रकाश आर्य	बी०एस०सी०	नैनीताल	25.06.1969	04.12.2023	—	—
24.	श्री अनिल कुमार बलूनी	एम०ए० अर्थशास्त्र	पौड़ी	08.09.1967	29.06.2024	—	—
25.	श्री गजेन्द्र सिंह	एम०ए०	पौड़ी	05.06.1976	29.06.2024	—	—
26.	श्री विक्रम सिंह कुवर	एम०ए०	चमोली	04.08.1967	29.06.2024	—	—
27.	श्री बचन सिंह पाल	एम०ए०	चमोली	15.06.1964	29.06.2024	—	सेवानिवृत्त
28.	श्री माधो सिंह	बी०ए० सहकारिता में डिप्लोमा	पौड़ी	10.07.1966	29.06.2024	—	—
29.	श्री श्याम नारायण मिश्रा	बी०ए० आई०टी०आई०	उत्तरकाशी	10.08.1964	29.06.2024	—	सेवानिवृत्त
30.	श्री प्रकाश असवाल	बी०ए०	चमोली	07.07.1973	29.06.2024	—	—
31.	श्री बद्री प्रसाद सती	बी०ए०	चमोली	01.01.1969	29.06.2024	—	—

विनय शंकर पाण्डेय,

सचिव।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2

अधिसूचना

27 नवम्बर, 2024 ई0

संख्या-554/VII-A-2/ई0-78820/137-उद्योग-2005-राज्यपाल, उत्तराखण्ड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण विनियम-2022 में निम्नलिखित अग्रेतर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

उत्तराखण्ड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण (संशोधन) विनियम-2024

उत्तराखण्ड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण विनियम-2022 में स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान प्रस्तर के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया प्रस्तर प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1									स्तम्भ-2								
विद्यमान प्रस्तर									एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रस्तर								
प्रस्तर-7.1 (2) सैटबैक									प्रस्तर-7.1 (2) सैटबैक								
गू-खण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	आवश्यक न्यूनतम सैटबैक (मीटर में)								गू-खण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	आवश्यक न्यूनतम सैटबैक (मीटर में)							
	मैदानी क्षेत्र				पर्वतीय क्षेत्र					मैदानी क्षेत्र				पर्वतीय क्षेत्र			
	अग्र	पृष्ठ	पार्श्व-1	पार्श्व-2	अग्र	पृष्ठ	पार्श्व-1	पार्श्व-2		अग्र	पृष्ठ	पार्श्व-1	पार्श्व-2	अग्र	पृष्ठ	पार्श्व-1	पार्श्व-2
300 तक	3.0	2.0	2.5	—	3.0	2.0	1.5	—	301 से 600 तक	3.0	1.2	1.2	—	3.0	1.0	1.0	—
601 से 1200 तक	4.0	3.0	3.5	—	3.5	3.0	3.0	—	601 से 1200 तक	3.0	2.0	2.0	—	3.0	1.5	1.5	—
1201 से 2400 तक	5.0	3.0	3.5	2.0	4.0	3.0	3.0	2.0	1201 से 2400 तक	4.0	3.0	3.0	1.5	4.0	2.0	2.0	1.5
2401 से 5000 तक	7.5	5.5	4.5	3.0	6.0	4.0	4.0	3.0	2401 से 5000 तक	6.0	4.5	3.0	3.0	6.0	3.0	3.0	1.5
5001 से 10000 तक	9.0	6.5	5.5	5.0	7.5	5.5	5.0	5.0	5001 से 10000 तक	9.0	5.5	4.5	4.5	7.5	4.5	4.5	3.0
10001 से 30000 तक	12.0	7.5	6.5	6.5	9.0	6.5	6.0	6.0	10001 से 30000 तक	12.0	7.5	6.5	6.5	9.0	6.5	6.0	6.0
30001 से 6.0 हैक्टेयर तक	20.0	12.0	9.0	9.0	18.0	9.0	7.5	7.5	30000 से 6.0 हैक्टेयर तक	18.0	9.0	7.5	7.5	12.0	7.5	6.5	6.5
6.0 हैक्टेयर से अधिक	25.0	15.0	12.0	12.0	20.0	12.0	9.0	9.0	6.0 हैक्टेयर से अधिक	20	12.0	9.0	9.0	18.0	9.0	7.5	7.5

नोट-

1- उपर्युक्त सैटबैक 15 मीटर उंचाई तक के भवनों हेतु है।

2- 15 मीटर उंचाई से अधिक उंचाई के भवनों हेतु चारों ओर न्यूनतम 5.0 मी० सेट बैक अथवा उपरोक्त वर्णित सैटबैक में से जो भी अधिक हो, आवश्यक होगा। 15 मी० से अधिक उंचे भवनों हेतु भवन की उंचाई में प्रत्येक 3 मी० अथवा उसके अंश की वृद्धि पर उपर्युक्त वर्णित अनुसार सेट बैक अथवा 1 मी० की अतिरिक्त वृद्धि के फलस्वरूप निर्धारित सैटबैक में से जो भी अधिक हो, आवश्यक होगा।

नोट-								
1- उपर्युक्त सैटबैक 12 मीटर उंचाई तक के भवनों हेतु है।								
2- 12 मीटर से अधिक तथा 15 मीटर की उंचाई तक के भवनों हेतु चारों								

नोट-

1- उपर्युक्त सैटबैक 12 मीटर उंचाई तक के भवनों हेतु है।

2- 12 मीटर से अधिक तथा 15 मीटर की उंचाई तक के भवनों हेतु चारों

नोट-

1- उपर्युक्त सैटबैक 15 मीटर उंचाई तक के भवनों हेतु है।

2- 15 मीटर उंचाई से अधिक उंचाई के भवनों हेतु चारों ओर न्यूनतम 5.0 मी0 सेट बैक अथवा उपरोक्त वर्णित सैटबैक में से जो भी अधिक हो, आवश्यक होगा। 15 मी0 से अधिक उंचे भवनों हेतु भवन की उंचाई में प्रत्येक 3 मी0 अथवा उसके अंश की वृद्धि पर उपर्युक्त वर्णित अनुसार सेट बैक अथवा 1 मी0 की अतिरिक्त वृद्धि के फलस्वरूप निर्धारित सैटबैक में से जो भी अधिक हो, आवश्यक होगा।

और न्यूनतम 5.0 मी0 सेट बैक अथवा उपरोक्त वर्णित सैटबैक में से जो भी अधिक हो, आवश्यक होगा। 15 मी0 से अधिक उंचे भवनों हेतु भवन की उंचाई में प्रत्येक 3 मी0 अथवा उसके अंश की वृद्धि पर उपर्युक्त वर्णित अनुसार सेट बैक अथवा 1 मी0 की अतिरिक्त वृद्धि के फलस्वरूप निर्धारित सैटबैक में से जो भी अधिक हो, आवश्यक होगा।

प्रस्तर-7.1 (3) भू-आच्छादन और F.A.R (फ्लोर एरिया रेशियो)

भू-खण्ड क्षेत्रफल (मीटर में)	मैदानी क्षेत्र			पर्वतीय क्षेत्र		
	अधिकतम भू-आच्छादन (%)	अनुमत्य F.A.R	नगरीय क्षेत्र के सीमान्तर्गत	अधिकतम भू-आच्छादन (%)	अनुमत्य F.A.R	नगरीय क्षेत्र के सीमान्तर्गत
300 तक	65	1.2	1.5	65	1.2	1.3
301 से 600 तक	60	1.3	1.6	60	1.5	1.5
601 से 1200 तक	60	1.5	1.6	60	1.6	1.6
1201 से 2400 तक	60	1.6	1.6	60	1.6	1.6
2401 से 5000 तक	60	1.6	1.6	60	1.6	1.6
5001 से 10000 तक	55	1.6	1.6	55	1.6	1.6
10001 से 30000 तक	55	1.6	1.6	55	1.6	1.6
30000 से 6.0 हेक्टेयर तक	55	1.6	1.6	55	1.6	1.6
6.0 हेक्टेयर से अधिक	55	1.6	1.6	55	1.6	1.6

प्रस्तर-7.1 (3) भू-आच्छादन और F.A.R (फ्लोर एरिया रेशियो)

गौजुदा भू-आच्छादन		भू-आच्छादन	
भू-खण्ड क्षेत्रफल (मीटर मे)		अनुमत्य F.A.R	
		नगरीय क्षेत्र सीमान्त र्गत	नगरीय क्षेत्र के बाहर
300 तक	1-यू0जी0आई0डी0सी0आर0-202	1.2	1.5
301 से 600 तक	2 के नियम सं0 7.1(2) संशोधित, मे उल्लेखित सैटबैक छोड़ने के	1.3	1.6
601 से 1200 तक	उपरांत जो भी क्षेत्रफल शेष रहता है उक्त क्षेत्रफल को	1.5	1.6
1201 से 2400 तक	भू-आच्छादन माना जायेगा, जोकि अधिकतम 70 प्रतिशत की सीमा तक ही अनुमत्य होगा।	1.6	1.6
2401 से 5000 तक		1.6	1.6
5001 से 10000 तक		1.6	1.6
10001 से 30000 तक		1.6	1.6
30000 से 6.0 हैक्टेयर तक		1.6	1.6
6.0 हैक्टेयर से अधिक		1.6	1.6

प्रस्तर-11.03 औद्योगिक भवनों हेतु पार्किंग प्रावधान

पार्किंग क्षेत्र		
औद्योगिक ईकाई	समतल क्षेत्र	पहाडी क्षेत्र
	0.75 ECS	0.60 ECS
- कुल आवश्यक क्षेत्र का न्यूनतम 70% 4 पहिया वाहनों के लिए होगा, जिसके लिए न्यूनतम चौड़ाई 2.75 मीटर होगी और लंबाई 5.0 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। - कुल आवश्यक क्षेत्र का अधिकतम 30% 2 पहिया वाहनों के लिए होगा, जिसके लिए न्यूनतम चौड़ाई 2.0 मीटर होगी और लंबाई 1.2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।		

प्रस्तर-11.03 औद्योगिक भवनों हेतु पार्किंग प्रावधान

पार्किंग क्षेत्र		
औद्योगिक ईकाई	समतल क्षेत्र	पहाडी क्षेत्र
	0.30 ECS	0.30 ECS
औद्योगिक ईकाई 1000 वर्ग मी0 तक		
औद्योगिक ईकाई 1000 वर्ग मी0 से अधिक	0.50 ECS	0.30 ECS
2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के वितरण मापदंड औद्योगिक ईकाई की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए, प्राधिकरण द्वारा केवल तय पार्किंग क्षेत्र/ समतुल्य कार स्पेस (ई0सी0एस0) मापदंडों के अनुसार पार्किंग की गणना की जायेगी।		

प्रस्तर-7.03 फ्लैटिड (Flatted) औद्योगिक ईकाई

	मैदानी क्षेत्र	पर्वतीय क्षेत्र
1 न्यूनतम भू-खण्ड क्षेत्रफल	2000 वर्ग मी0	500 वर्ग मी0
2 न्यूनतम मार्ग चौड़ाई	12.0 मी	7.5 मी0

प्रस्तर-7.03 फ्लैटिड (Flatted) औद्योगिक ईकाई

	मैदानी क्षेत्र	पर्वतीय क्षेत्र
1 न्यूनतम भू-खण्ड क्षेत्रफल	1201 वर्ग मी0	500 वर्ग मी0
2 न्यूनतम मार्ग चौड़ाई	12.0 मी	7.50 मी0

3	तल की न्यूनतम ऊँचाई*	4.5 मी	3.66 मी	3	तल की न्यूनतम ऊँचाई*	3.60 मी	3.60 मी
4	अधिकतम भू-आच्छादन	40%	50%	4	अधिकतम भू-आच्छादन	रोटबैक छोड़ने के उपरान्त शेष बचा क्षेत्रफल	रोटबैक छोड़ने के उपरान्त शेष बचा क्षेत्रफल
5	एफ0ए0आर0	1.75	1.50	5	एफ0ए0आर	3.00	2.00
6	सैटबैक: प्रावधान संख्या-7.01 (2) के अनुसार।			6	सैटबैक: प्रावधान संख्या-7.1(2) के अनुसार।		
	* भवन की अधिकतम ऊँचाई आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत भवन उपविधि अनुसार।			7	पार्किंग	प्रावधान संख्या-11.03 के अनुसार	
					* भवन की अधिकतम ऊँचाई आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत भवन उपविधि अनुसार। नोट:- फ्लैटिड (Flatted) औद्योगिक इकाई के मानचित्र मात्र सीड द्वारा स्वीकृत तैआउट के अन्तर्गत ही अनुमत्त होंगे।		

आज्ञा से,
विनय शंकर पाण्डेय,
सचिव।

NOTIFICATION

November 27, 2024

No.554/VII-A-2/E-78820/137-Udyog-2005--The Governor, is pleased to allow the following further amendment to the Uttarakhand General Industrial Development Control Regulations-2022

Uttarakhand General Industrial Development Control (Amendment) Regulations-2024

In the Uttarakhand General Industrial Development Control Regulations-2022 for the existing paragraph set out in column-1 below, the paragraph as set out in column-2 shall be substituted, namely.

Column-1									Column-2								
Existing Paragraph									Paragraph Hereby Substituted								
7.1 (2) Setbacks:									7.1 (2) Setbacks:								
Area Of Plot (Sq. mt.)	Required Minimum Setback (mt.)								Area Of Plot (Sq. mt.)	Required Minimum Setback (mt.)							
	Plain Areas				Hill Areas					Plain Areas				Hill Areas			
	Front	Back	Side -1	Side -2	Front	Back	Side -1	Side -2		Front	Back	Side -1	Side -2	Front	Back	Side -1	Side -2
Upto 300	3.0	2.0	2.5	-	3	2	1.5	-	301 to 600	3.0	1.2	1.2	-	3.0	1.0	1.0	-
301 to 600	4.0	3.0	3.5		3.5	3	3	-	601 to 1200	3.0	2.0	2.0		3.0	1.5	1.5	-
601 to 1200	5.0	3.0	3.5	2	4	3	3	2	1201 to 2400	4.0	3.0	3.0	1.5	4.0	2.0	2.0	1.5
1201 to 2400	7.5	5.5	4.5	3	6	4	4	3	2401 to 5000	6.0	4.5	3.0	3.0	6.0	3.0	3.0	1.5
2401 to 5000	9.0	6.5	5.5	5	7.5	5.5	5	5	5001 to 10000	9.0	5.5	4.5	4.5	7.5	4.5	4.5	3.0
5001 to 10000	12	7.5	6.5	6.5	9	6.5	6	6	10001 to 30000	12.0	7.5	6.5	6.5	9.0	6.5	6.0	6.0

10001 to 30000	18	9.0	7.5	7.5	12	7.5	6.5	6.5	Above 30,000 upto 6.0 Hect.	18.0	9.0	7.5	7.5	12.0	7.5	6.5	6.5
Above 30,000 upto 6.0 Hect.	20	12	9	9	18	9	7.5	7.5	Above 6.0 Hect.	20.0	12.0	9.0	9.0	18.0	9.0	7.5	7.5
Above 6.0 Hect.	25	15	12	12	20	12	9	9									

Note:

3. The above set backs are for buildings up to 12m height.
4. For buildings above 12m and up to 15m height, the minimum set backs on all sides shall be 5m or set back as mentioned above, whichever is higher, shall be required. Furthermore, for every increase of 3m (or part thereof) in building height, an additional 1m increase in set back or setbacks as mentioned above, whichever is higher, shall be required.

Note:

3. The above set backs are for buildings up to 15m height.
4. For buildings above 15m height, the minimum set backs on all sides shall be 5m or set back as mentioned above, whichever is higher, shall be required. Furthermore, for every increase of 3m (or part thereof) in building height, an additional 1m increase in set back or setbacks as mentioned above, whichever is higher, shall be required.

7.1 (3) Ground Coverage and FAR (Floor Area Ratio)

Plot Area (Sq. mt.)	Plain Area			Hill Area		
	Max. Ground Coverage (%)	Permissible F.A.R		Max. ground coverage (%)	Permissible F.A.R	
		Within Municipal Limits	Outside of Municipal Limits		Within Municipal Limits	Outside of Municipal Limits
Upto 300	65	1.2	1.5	65	1.2	1.3
301 to 600	60	1.3	1.6	60	1.5	1.5
601 to 1200	60	1.5	1.6	60	1.6	1.6
1201 to 2400	60	1.6	1.6	60	1.6	1.6
2401 to 5000	60	1.6	1.6	60	1.6	1.6
5001 to 10000	55	1.6	1.6	55	1.6	1.6
10001 to 30000	55	1.6	1.6	55	1.6	1.6
30000 to 6.0 Hectares	55	1.6	1.6	55	1.6	1.6
Above 6.0 Hectares	55	1.6	1.6	55	1.6	1.6

7.1 (3) Ground Coverage and FAR (Floor Area Ratio)

Plot Area (Sq. mt.)	Plain Area		
	Max. Ground Coverage (%)	Permissible F.A.R	
		Within Municipal Limits	Outside of Municipal Limits
Upto 300	After leaving setbacks as mentioned in the clause no 7.1(3) the remaining area shall be considered as ground coverage but maximum up to 70 % ground coverage.	1.2	1.5
301 to 600		1.3	1.6
601 to 1200		1.5	1.6
1201 to 2400		1.6	1.6
2401 to 5000		1.6	1.6
5001 to 10000		1.6	1.6
10001 to 30000		1.6	1.6
30000 to 6.0 Hectares		1.6	1.6
Above 6.0 Hectares		1.6	1.6

11.03 Parking, Loading And Unloading provisions for Industrial Buildings:				11.03 Parking, Loading And Unloading provisions for Industrial Buildings:			
Parking Area				Parking Area			
Industrial Unit		Plains	Hills	Industrial Unit upto 1000 sqmt.		Plains	Hills
		0.75 ECS	0.60 ECS	Industrial Unit above 1000 sqmt.		0.50 ECS	0.30 ECS
- Minimum 70% of the total required area shall be for 4 wheelers for which the minimum width shall be 2.75m and length should not be less than 5.0 m. - Maximum 30% of the total required area shall be for 2 wheelers for which the minimum width shall be 2.0m and length should not be less than 1.2 m.				The distribution norms of 4 wheeler and 2 wheeler vehicles should be as per the requirement of the Industrial Unit, the authority should only fix the Area/ECS for the Parking as per the Norms.			
7.03 Flatted Industrial Units:				7.03 Flatted Industrial Units:			
		Plain Area	Hilly Area			Plain Area	Hilly Area
1	Minimum Plot Area	2000 sqm.(Plains)	500sqm. (Hills)	1	Minimum Plot Area	1201 sqm.(Plains)	500sqm. (Hills)
2	Minimum Road Width	12 m	7.5 m	2	Minimum Road Width	12 m	7.5 m
3	Minimum height of one floor *	4.5 m	3.66 m	3	Minimum height of one floor *	3.60 m	3.60 m
4	Maximum Ground Coverage	40%	50%	4	Maximum Ground Coverage	After leaving setbacks remaining area.	After leaving setbacks remaining area.
5	FAR	1.75	1.50	5	FAR	3.00	2.00
6	Set back: As per clause 07.01 (2)			6	Set back: As per clause 7.1 (2)		
	* Maximum height of building: As provided in Building Bye Laws issued by the Housing department, Government of Uttarakhand.			7	Parking	As per clause No. 11.03	
					* Maximum height of building: As provided in Building Bye Laws issued by the Housing department, Government of Uttarakhand. Note- Map of Flatted Industrial Units shall be allowed only under the layout approved by SIDA.		

By Order,

VINAY SHANKAR PANDEY,

Secretary.

गृह अनुभाग-2अधिसूचनाप्रकीर्ण

05 दिसम्बर, 2024 ई०

संख्या-258941/XX-2/2024-01(33)/2013-राज्यपाल 'भारत के संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुका द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के मुख्यालय एवं उत्तराखण्ड कारागार (अधीनस्थ कार्यालय) लिपिक वर्गीय सेवा के एकीकरण के फलस्वरूप सृजित 'उत्तराखण्ड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग लिपिक वर्गीय सेवा' में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग (लिपिक वर्गीय) सेवा नियमावली
2024

भाग— एक

सामान्य

- | | |
|----------------------------|--|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: | 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग (लिपिक वर्गीय) सेवा नियमावली, 2024 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। |
| सेवा की प्राप्ति | 2. उत्तराखण्ड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग (लिपिक वर्गीय) सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें समूह 'ख' एवं 'ग' के पद समाविष्ट हैं। |
| परिभाषाएं | 3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में:— |
-
- | | |
|-----|--|
| (क) | 'नियुक्ति प्राधिकारी' से महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है; |
| (ख) | 'भारत का नागरिक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत के संविधान के भाग—दो के अधीन भारत का नागरिक हो, या समझा जाता है; |
| (ग) | 'आयोग' से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभिप्रेत है; |
| (घ) | 'संविधान' से भारत का संविधान अभिप्रेत है; |
| (ङ) | 'विभाग' से कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग उत्तराखण्ड अभिप्रेत है; |
| (च) | 'मुख्यालय' से उत्तराखण्ड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग का मुख्यालय अभिप्रेत है; |
| (छ) | 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है; |
| (ज) | 'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है; |
| (झ) | 'भर्ती का वर्ष' से किसी कैलेंडर वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है; |
| (ञ) | 'सेवा के सदस्य' से इस नियमावली से या इससे पूर्व नियमावली या आदेशों के अधीन स्थायी रूप से मौलिक पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है; |
| (ट) | 'सेवा' से उत्तराखण्ड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग लिपिक वर्गीय सेवा अभिप्रेत है; |
| (ठ) | 'अधीनस्थ कार्यालयों' से उत्तराखण्ड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के मुख्यालय के नियन्त्रणाधीन समस्त कारागारों/कार्यालय अभिप्रेत है। |
| (ड) | 'अधीनस्थ पदों' से कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी में से किन्हीं पदों पर की गयी सेवा अभिप्रेत है; |

- (ण) 'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो;

भाग— दो

संवर्ग

- सेवा का संवर्ग 4. (1) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जो समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाये।
- (2) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपनियम (1) के पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाये, उतनी होगी जो परिशिष्ट—'क' में दी गयी है ;
- परन्तु उपबन्ध यह है कि—
- (क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद या पदों के किसी वर्ग को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर/प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा,
- (ख) सरकार का प्रशासनिक विभाग, कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के परामर्श से समय-समय पर ऐसे स्थाई या अस्थायी पदों का सृजन कर सकता है, जिन्हें आवश्यक समझा जाय।
- (ग) उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-90 /XXX(2)/2016-30(51)15 दिनांक 26.07.2016 तथा समय-समय पर यथासंशोधित में लिपिक वर्गीय सेवा/मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के लिए प्राविधानित स्टाफिंग पैटर्न के पद प्रतिशत के अनुसार पदों को पुर्नगठित किया जा सकेगा।

भाग— तीन

भर्ती

- भर्ती का स्रोत 5. उत्तराखण्ड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग (लिपिक वर्गीय) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेंगी:—
- (1) मुख्य मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 01 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 22 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता' के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

- (2) वरिष्ठ मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने प्रशासनिक भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 20 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
- (3) प्रशासनिक अधिकारी मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधान सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 17 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
- (4) प्रधान सहायक मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
- (5) वरिष्ठ सहायक मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
- (6) कनिष्ठ सहायक (एक) 70 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती नियम 8 में यथा उपबंधित शैक्षिक अर्हता और अन्य उपबन्धों के आधार पर नियम 16 में निर्दिष्ट चयन प्रक्रिया/उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।
- (दो) सेवा में कनिष्ठ सहायक के कुल पदों के 25 प्रतिशत रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सरकारी आदेशों के अनुसार समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारियों में से 15 प्रतिशत, जो हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण हों तथा 10 प्रतिशत, जो इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हों, पदोन्नति द्वारा भरी जायेंगी ;
परन्तु यह कि यदि समूह 'घ' में नियमित पात्र कर्मचारी कार्यरत उपलब्ध न हों, तो उस सीमा तक लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग के कनिष्ठ सहायक पद में समूह 'घ' से पदोन्नति हेतु चिन्हित रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जा सकेगा।
- (तीन) लिपिक संवर्ग के कनिष्ठ सहायक के कुल पदों के 05 प्रतिशत रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा वाहन चालकों, जो हाईस्कूल की परीक्षा अथवा उससे उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण हों, में से पदोन्नति द्वारा ;
परन्तु यह कि यदि वाहन चालकों में नियमित पात्र कर्मचारी कार्यरत उपलब्ध न हों, तो उस सीमा तक लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग के कनिष्ठ सहायक पद में वाहन चालक से पदोन्नति हेतु चिन्हित रिक्त पदों को उस कार्यालय के समूह 'घ' के कर्मचारियों से पदोन्नति द्वारा भरा जा सकेगा।

- आरक्षण 6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त उत्तराखण्ड सरकार के आदेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

भाग— चार

अर्हताएं

- राष्ट्रीयता 7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—
- (क) भारत का नागरिक हो, या
 - (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या
 - (ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगाण्डा या यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो :

परन्तु, उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु, उपर्युक्त श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें :

परन्तु, यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो, तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी: ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न ही देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

- शैक्षिक अर्हताएं 8. सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए:—

- | पद | अर्हता |
|--------------|---|
| कनिष्ठ सहायक | (एक) सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
(दो) कम्प्यूटर हिन्दी टंकण दक्षता में न्यूनतम 4000 KDPH (की-डिप्रेशन प्रति घण्टा) की गति होनी चाहिए।
अधिमान:— अंग्रेजी टंकण दक्षता में ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा। |

- अनिवार्य/वांछनीय अर्हता 9. कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु अनिवार्य/वांछनीय अर्हताएं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमावलियों के अनुसार होगी।
- अधिमानी अर्हताएं 10. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने
(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
- आयु 11. सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की, जिसमें रिक्तियाँ विज्ञापित की जायें, उस वर्ष की पहली जुलाई को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 42 वर्ष से अधिकतम आयु प्राप्त न की हो अथवा सरकार द्वारा समय-समय पर जितनी आयु विनिर्दिष्ट की जाये :
परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाये, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष बढ़ायी जाये, जितनी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये।
- चरित्र 12. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में समाधान कर लेगा।
टिप्पणी: संघ सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।
- वैवाहिक प्रास्थिति 13. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा कोई पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसका एक से अधिक पति जीवित हो :
परन्तु यदि सरकार को समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।
- शारीरिक स्वस्थता 14. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2, भाग-3 के अध्याय-3 में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे :
परन्तु यह भी कि निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा :

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गये अभ्यर्थियों से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग— पाँच भर्ती की प्रक्रिया

- रिक्तियों की 15. अवधारणा** नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना आयोग को देगा।
- सीधी भर्ती 16. की प्रक्रिया** इस नियमावली के अधीन सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2008 समय-समय पर यथासंशोधित के प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।
- पदोन्नति 17. द्वारा भर्ती की प्रक्रिया**
- (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 2002 समय-समय पर यथासंशोधित के उपबन्धों के अनुसार निम्नवत विभागीय चयन समिति गठित कर की जायेगी:—

(क) विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी—	अध्यक्ष
(ख) अपर विभागाध्यक्ष/समकक्ष प्राधिकारी—	सदस्य
(ग) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो राजपत्रित अधिकारी—	सदस्य
 - (एक) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर पात्रता सूची उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 2003 समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसार तैयार करेगा और उनकी चरित्र पंजिकाओं और उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, विभागीय चयन समिति के समक्ष रखेगा।
 - (दो) विभागीय चयन समिति खण्ड (एक) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों की भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार एक सूची तैयार करेगी और उसे ज्येष्ठता क्रम में नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।
 - (2) 'कनिष्ठ सहायक' के 30 प्रतिशत पदों पर भर्ती उत्तराखण्ड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के मौलिक रूप से नियुक्त समूह 'घ' एवं वाहन चालक कार्मिकों में से जैसा कि नियम 5 (6) (दो) व (तीन) में निर्दिष्ट है, की पदोन्नति निम्नलिखित प्रक्रिया से की जायेगी:—

(एक) लिपिक वर्ग कनिष्ठ सहायक के पदों पर भर्ती उत्तराखण्ड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में कार्यरत श्रेणी 'घ' एवं वाहन चालक जो 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों, पात्रता क्षेत्र में आयेंगे। समूह 'घ' एवं वाहन चालक से पदोन्नति हेतु लिपिक वर्ग कनिष्ठ सहायक के पदों पर भर्ती के लिए आरक्षित रिक्तियों पर चयन, श्रेष्ठता के आधार पर एक साधारण परीक्षा लेकर किया जायेगा। परीक्षा में केवल एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा अधिकतम 40 अंक की होगी तथा पात्र कर्मचारी की वार्षिक चरित्र पंजिका हेतु 10 अंक होंगे। चतुर्थ श्रेणी एवं वाहन चालक पद पर कार्य अनुभव हेतु प्रत्येक वर्ष के लिए 02 अंक दिए जायेंगे तथा कार्य अनुभव के लिए अधिकतम 50 अंक निर्धारित किए जायेंगे। इस प्रकार चयन परीक्षा कुल 100 अंको की होगी।

(दो) उपरोक्त उपरोक्त के अतिरिक्त 50 अंकों की हिन्दी में टंकण परीक्षा भी ली जाएगी। टंकण परीक्षा में 2400 की-डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति से कम टंकण करने वाले अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे। इस प्रकार चयन परीक्षा कुल 150 की होगी;

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली 2004 के उपबन्ध इस नियमावली के अधीन की जाने वाली पदोन्नति पर लागू नहीं होंगे।

भाग - छः

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति 18. (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम 16 या 17 के अधीन तैयार की गई सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा, जैसे यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसे कि उस संवर्ग में हो जिसमें उन्हें पदोन्नत किया गया हो।

परिवीक्षा 19. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरुद्ध रिक्त पद पर नियुक्त व्यक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक-पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुये, जब तक अवधि बढ़ायी गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे :

परन्तु उपबन्ध यह है कि अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी

परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

- (3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है, तो उसे उसके मूल पद पर यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
- (4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
- (5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में प्रदान की गयी हो।

- स्थायीकरण** 20. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि—
- (क) उसका कार्य और आचरण सतोषजनक बताया गया हो,
 - (ख) उसकी सत्यनिष्ठा अभिप्रमाणित हो, और
 - (ग) नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाये कि वह स्थायी किये जाने हेतु अन्यथा उपयुक्त है।
 - (घ) विहित विभागीय परीक्षा यदि कोई है, उत्तीर्ण कर ली गयी हो,
- ज्येष्ठता** 21. मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 समय-समय पर यथासंशोधित में निहित प्राविधानों के अनुसार अवधारित की जायगी।

भाग — सात

वेतन इत्यादि

- वेतनमान** 22. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।
- (2) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय विभिन्न श्रेणियों के पदों के प्रवृत्त वेतनमान संलग्न परिशिष्ट— 'ख' के अनुसार होंगे।
- परिवीक्षा अवधि में** 23. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा

वेतन

में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी, जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यह कि यदि संतोषजनक सेवायें प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

- (2) ऐसे व्यक्ति जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा;

परन्तु यदि संतोषजनक सेवायें प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

- (3) ऐसे व्यक्ति जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, का परिवीक्षा अवधि में वेतन, राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग-आठ

अन्य उपबन्ध

- सेवा क्षेत्र 24. उत्तराखण्ड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग लिपिक वर्गीय सेवा के कार्मिकों का पदस्थापन/स्थानान्तरण मुख्यालय कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कहीं भी किया जा सकेगा।
- पक्ष समर्थन 25. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्ही सिफारिशों पर चाहे लिखित या मौखिक हो, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने के प्रयास का प्रमाण उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।
- अन्य विषयों का विनियमन 26. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे।
- सेवा की शर्तों में शिथिलता 27. जहां राज्य सरकार को यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा

उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

- व्यावृत्ति 28. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट— 'क'

[नियम-4 का उपनियम (2) देखें]

क्र० सं०	पदनाम	स्थायी पदों की संख्या	अस्थायी पदों की संख्या	योग
1	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	01	—	01
2	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	02	—	02
3	प्रशासनिक अधिकारी	03	—	03
4	प्रधान सहायक	06	—	06
5	वरिष्ठ सहायक	09	01	10
6	कनिष्ठ सहायक	10	02	12
योग =		31	03	34

परिशिष्ट— 'ख'

[नियम-22 का उपनियम (2) देखें]

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान
1	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	लेवल-10 रू० 56,100—1,77,500
2	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	लेवल-8 रू० 47,600—1,51,100
3	प्रशासनिक अधिकारी	लेवल-7 रू० 44,900—1,42,400
4	प्रधान सहायक	लेवल-6 रू० 35,400—1,12,400
5	वरिष्ठ सहायक	लेवल-5 रू० 29,200—92,300
6	कनिष्ठ सहायक	लेवल-3 रू० 21,700—69,100

आज्ञा से,
शैलेश बगौली,
सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of articles 348 of 'the Constitution of India', the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No-258941/XX-2/2024-1(33)/2013 Dehradun, dated: December 05, 2024 for general information.

NOTIFICATION

December 05, 2024

No.258941/XX-2/2024-1(33)/2013—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of "The Constitution of India" and in supersession of all existing rules and orders on the subject and as the result of integration of the Headquarter and Uttarakhand Prison (Subordinate Office) Ministerial Cadre service of Uttarakhand Prison Administration and Correctional Service Department, the Governor is pleased to make the following rules with a view to regulate the recruitment and conditions of service of the persons appointed in the "Uttarakhand Prison Administration and Correctional Service Department Ministerial Cadre services"—

**The Uttarakhand Prison Administration and Correctional Services Department
(Ministerial Cadre) Service Rules, 2024**

PART-I-General

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Short title and Commencement | 1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Prison Administration and Correctional Services Department (Ministerial Cadre) Service Rules, 2024.
(2) It shall come into force at once. |
| Status of the Service | 2. The Uttarakhand Prison Administration and Correctional Service Department (Ministerial Cadre) service is a service which comprises of Group "B" and "C" posts. |
| Definitions | 3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :-
<ul style="list-style-type: none"> a. "Appointing Authority" means the Inspector General Prison Administration and Correctional Service Department, Uttarakhand; b. "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under part II of the Constitution of India; c. "Commission" means the Uttarakhand Subordinate Selection Service Commission; d. "Constitution" means the Constitution of India; e. "Department" means the Prison Administration and Correctional Service Department, Uttarakhand; f. "Headquarter" means the Headquarter of the |

Uttarakhand Prison Administration and Correctional Service Department;

g. "Governor" means the Governor of Uttarakhand;

h. "Government" means the State Government of Uttarakhand;

i. "Year of recruitment" means a period of twelve months commencing from the first day of July of the calendar year.

j. "Member of the Service" means a person substantively appointed under these rules or rules or orders before commencement of this rules;

k. "Service" means the Uttarakhand Prison Administration and Correctional Service Department Ministerial Cadre Service;

l. "Subordinate offices" means the all the Prisons/ Offices under the control of the Headquarter of the Uttarakhand Prison Administration and Correctional Service Department;

m. "Subordinate posts" means services done on the any of the posts of Junior Assistant, Senior Assistant, Head Assistant, Administrative officer and Senior Administrative officer;

n. "Substantive appointment" means an appointment, not being an *ad-hoc* appointment, on a post in the cadre of the service and made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government.

PART-II

CADRE

Cadre of Service

4.

1. The strength of the employees / officers in the service and each category of posts therein shall be such as may be determined by the Governor from time to time.
2. The strength of the employees/ officers in the service and each category of posts therein shall, until orders

varying the same are passed under sub-rule (1) as given in Appendix-"A" :

Provided that-

(a) The Appointing Authority may leave unfilled or the Government may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to the compensation;

(b) Administrative Department of the Government may with the consultation of Personnel Department and the Finance Department, create such permanent or temporary posts, from time to time, as may be required;

(c) The post of staffing pattern to ministerial cadre service in accordance with the Government order No. 90/XXX(2)/2016-30(51)15 dated 26-07-2016 of Personnel Section-2, Government of Uttarakhand and as amended from time to time posts may be reorganized according to percentage.

PART-III

RECRUITMENT

Source of Recruitment

5.

The recruitment on various categories posts of the Uttarakhand Prison Administration and Correctional Service Department (Ministerial Cadre) Service shall be made from the following sources:-

(1) Chief

Administrative
Officer

By promotion, from amongst such substantively appointed Senior Administrative Officers who have completed minimum one year service and have completed 22 years of service as such on the first day of the year of recruitment, on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit.

(2) Senior
Administrative
Officer

By promotion, from amongst such substantively appointed Administrative Officers who have completed minimum 2 years service or have completed 20 years of service on sub-ordinate posts as such on the first day of the year of recruitment, on the basis of seniority, subject to the rejection of

		(3) Administrative Officer (4) Head Assistant (5) Senior Assistant (6) Junior Assistant	unfit By promotion, from amongst such substantively appointed Head Assistant who have completed 3 years service or have completed 17 years of service on sub ordinate posts as such on the first day of the year of recruitment, on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit. By promotion, from amongst such substantively appointed Senior Assistant who have completed 3 years service and have completed 10 years of service as such on the first day of the year of recruitment, on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit. By promotion from amongst such substantively appointed Junior Assistant who have completed 6 years service as such on the first day of the year of recruitment, on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit. (i) Direct recruitment on 70 percent post shall be done on the basis of educational qualification and other provision provided in rule 8 in accordance with selection procedure specified in rule 16, through the Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission by direct recruitment; (ii) Out of 25 percent vacancies of the total posts of Junior Assistant shall be filled by promotion by Appointing Authority in
--	--	---	--

accordance with the Government order issued from time to time, 15 percent from such employees of group "D" who have passed high school and 10 percent from those who have passed intermediate:

Provided that if no regular eligible employees in group "D" is available, then the posts identified from promotion of Junior Assistant posts in ministerial cadre from group "D" may be filled through direct recruitment.

(iii) 5 percent vacancies of Junior Assistant in ministerial cadre shall be filled by promotion from amongst the drivers who have passed high school or higher examination, by the Appointing Authority:

Provided that the if no regular eligible employees are available in the driver, then the posts identified for promotion to Junior Assistant posts ministerial cadre from the drivers may be filled by group "D" employees, by promotion.

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Others Backward Classes, Economically Weaker Sections and other category belonging to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART-IV
QUALIFICATIONS

Nationality

7. A candidate for direct recruitment to be a post in service must be-

- (a) A citizen of India; or
(b) A Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or
(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the east African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) mentioned above must be a person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by the Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) shall also be required to obtain certificate of eligibility granted by the Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) mentioned above, no certificate of eligibility shall be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

Note:- A candidate in whose case certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor rejected, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

**Academic
Qualification**

8. For direct recruitment on various posts in the service, the candidate must have the following qualifications:-

Post	Qualifications
Junior Assistant	(i) For direct recruitment, it is essential that candidate have passed intermediate examination from Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or Board of School Education, Uttarakhand or passed any examination declared equivalent by Government; (ii) Minimum 4000 KDPH (key depression per hour) in Computer Hindi Typing .

Preference: Preference shall be given to candidate having knowledge in English Typing.

**Essential/
desirable
qualification**

9. The Qualification shall be according to the Essential/Desirable Qualification for the Recruitment of Junior Assistant post within the Purview of Uttarakhand Public Service Commission and Outside the Purview of the Public Service Commission Rules, 2010 as per rules amended from time to time.

**Preferential
Qualification**

10. A candidate shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment, who has:-
(i) Served in the Territorial Army for a minimum period of two years; or
(ii) Obtained a "B" or "C" certificate of National Cadet Corps,

Age

11. A candidate for direct recruitment, must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of more than 42 years on the first day of July of the Calendar year in which vacancies are advertised or the age as specified Government from time to time:

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified by State Government.

Character

12. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service should be such that he is suitable in all respects for employment in Government service. The Appointing Authority shall satisfy himself in this regard.

Note- A person dismissed by the Union Government or a State Government or by a local authority or a corporation or Body owned or controlled by the Union Government or State Government shall not be eligible for appointment to any post in the service. A persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status

13. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has more than one husband living shall not be eligible for appointment to a post in the service:

Provided that the Government may, if satisfied

that there exist special ground for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

- Physical Fitness** 14. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in a good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a certificate of in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10 contained in Chapter III of the Financial Handbook, Volume II, Part III :

Provided that in order of section 33, the posts identified for this and the categories identified under section 34 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Act No. 49 of 2016), the disabled shall not be denied for appointment as per rules:

Provided further that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART-V

PROCEDURE FOR RECRUITMENT

- Determination of vacancies** 15. The Appointing Authority shall determine number of vacancies to be filled during the course of the year and also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Sections and Other Categories belonging to State of Uttarakhand under rule 6 and shall intimate to the Commission, the vacancies, to be filled through Commission.
- Procedure for direct recruitment** 16. Recruitment on the posts of direct recruitment under these rules shall be made by direct recruitment through the commission in accordance with the provisions of the Uttarakhand Procedure for Direct Recruitment For Group "C" Posts (outside the purview of the Uttarakhand Public Service Commission) Rules, 2003 (as amended from time to time).
- Procedure for recruitment by promotion** 17. (1) Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit, through the following departmental selection committee constituted under the provisions of the Uttarakhand Constitution of Departmental Promotion Committee (for posts outside the

purview of the Public Service Commission) Rules, 2002 (as amended from time to time)-

(a) Head of department/ Appointing Authority- Chairman;

(b) Additional Head of Department/Equivalent Authority- Member;

(c) Two Gazetted officers nominated by the Appointing Authority- Member;

(i) The Appointing Authority shall prepare an eligibility list of the candidates on the basis of seniority in accordance with the Uttarakhand Promotion by Selection (on the posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 2003(as amended from time to time) and present it before the departmental selection committee along with their character rolls and such other records pertaining to them, as may be considered proper.

(ii) The departmental selection committee shall prepare the list of candidates on the basis of records, referred in clause (i), according to the orders of Government at the time of recruitment and forward the same to Appointing Authority in order of seniority.

(2) Recruitment by promotion on 30 percent posts shall be made from amongst the employees substantively appointed as group "D" and drivers in the Uttarakhand Prison Administration and Correctional Service Department as specified in rule 5(6)(ii) and (iii), by the following procedure:-

(i) For the recruitment on the post of ministerial cadre Junior Assistant, the group "D" employees and drivers working in the Uttarakhand Prison administration and Correctional Service Department who have completed 05 years of regular service shall be considered the eligible. The selection on the posts by promotion of ministerial cadre Junior Assistant reserved for group "D" and drivers shall be made in the basis of merit by taking a general examination. There shall be only one question paper in the examination, consisting objective type question relating to General Hindi, General knowledge and General studies.

The written examination shall be of maximum 40 marks and 10 marks shall be for the annual character register of the eligible employee. Two marks per year shall be given for work experience on the posts of IVth class and driver and maximum 50 marks shall be awarded for work experience. Thus the selection examination shall be of 100 marks.

(ii) Apart from the above, Hindi typing test of 50 marks in shall be taken. The candidate typing less than 2400 key depression per hour in typing examination shall be ineligible. Thus the total marks of selection examination of 150 marks:

Provided that the provisions of the Uttarakhand Government Servants (Criterion for Recruitment by Promotion) Rules, 2004 shall not apply for the promotion made under these rules.

PART-VI

APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

18.

(1) The Appointing Authority shall make appointments by taking the names of the candidates in the same order in which they appear in the list prepared under rule 16 and 17, as the case may be.

(2) If more than one orders of appointment are issued in respect of any one selection a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons, in order of seniority, as determined, in the selection, or as the case may be, as it stood, in the cadre, from which they are promoted.

Probation

19.

(1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of one year.

(2) The Appointing Authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the period is extended:

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities, he may be reverted to his substantive post, if any or if he does not have any lien on any post, his services may be dispensed of.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The Appointing Authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation

20.

A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation, if-

a. his work and conduct is reported to be satisfactory;

b. his integrity is certified;

(c) the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation;

(d) have passed prescribed departmental examination, if any.

Seniority

21.

The seniority of persons appointed on a substantive post in service shall be determined in accordance with the provisions of Uttarakhand Government Servants Seniority Rules, 2002 (as amended from time to time).

Part- VII**Pay scale etc.****Pay scale**

22.

(1) The scale of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

Pay during probation

23.

(2) The scale of pay at the time of the commencement of these rules shall be according to Appendix 'B'.

(1) Notwithstanding any provisions in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation if he is not already, in permanent Government Service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service and second increment after two years service when he has completed the probation period and is also confirmed;

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government shall be regulated by the relevant fundamental rules;

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government Service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

PART-VIII
OTHER PROVISIONS

Service area

24.

The ministerial cadre service employees of the Uttarakhand Prison Administration and Correctional Service Department may be posted/ transferred anywhere, in headquarter office and subordinate offices.

Canvassing

25.

No recommendation, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the Post or Service shall be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly or indirectly for his candidature shall disqualify him for appointment.

Regulation of other matters

26.

In relation to such subjects, which do not fall under these rules or special orders, the persons employed in the service shall be regulated by the rules, regulations and orders generally

applicable to the serving government servants related to the affairs of the state.

Relaxation from the conditions of service

27. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Saving

28. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required for the candidates belong to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Categories, Economically Weaker Sections and other categories of persons to the State of Uttarakhand in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

Appendix-A

[see rule 4(2)]

S. N.	Name of Post	Number of permanent posts	Number of temporary posts	Total
1	Chief Administrative Officer	01	-	01
2	Senior Administrative Officer	02	-	02
3	Administrative Officer	03	-	03
4	Head Assistant	06	-	06
5	Senior Assistant	09	01	10
6	Junior Assistant	10	02	12
	Total	31	03	34

Appendix-B

[see rule 22(2)]

S. N.	Name of Post	Pay scale
1	Chief Administrative Officer	(level-10) 56,100-1,77,500
2	Senior Administrative Officer	(level-8) 47,600-1,51,100
3	Administrative Officer	(level-7) 44,900-1,42,400
4	Head Assistant	(level-6) 35,400-1,12,400
5	Senior Assistant	(level-5) 29,200-92,300
6	Junior Assistant	(level-3) 21,700-69,100

By Order,

SHAILESH BAGAUJI,

Secretary.

शहरी विकास अनुभाग-3**अनन्तिम अधिसूचना**

05 दिसम्बर, 2024 ई०

संख्या-1477/IV(3)/2024-11(03 निर्वा०)/2022-नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्रनगर, जनपद-टिहरी गढ़वाल के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप जिसे श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007) की धारा-11क एवं धारा-11ख में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके जारी करने का प्रस्ताव करते हैं, उक्त धारा की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सम्बद्ध व्यक्तियों की सूचना के लिये आपत्तियां आमंत्रित करने के लिये एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

प्रस्तावित अधिसूचना के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो, तो वह लिखित रूप में जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को प्रेषित की जायेगी। केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 07 दिनों के भीतर प्राप्त होंगी।

प्रस्तावित अधिसूचना

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007) की धारा-11क एवं धारा-11 ख की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्रनगर, जनपद-टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश जारी करते हैं :-

- (1) निर्वाचन के प्रयोजन के लिये उक्त नगर पालिका परिषद क्षेत्र को संलग्न अनुसूची में उल्लिखित वार्डों में विभाजित किया जायेगा।
- (2) प्रत्येक वार्ड का परिसीमन ऐसा होगा, जैसा संलग्न अनुसूची के स्तम्भ-1 से 6 में उल्लिखित किया गया है।

नगर पालिका परिषद, नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल

क्र० सं०	कक्ष संख्या	कक्ष का नाम	वार्ड की जनसंख्या	कक्ष की सीमायें	वार्ड में सम्मिलित मोहल्लों का नाम
1	2	3	4	5	6
1	01	किनवानी	935	पूर्व में— ग्राम बडेडा पश्चिम में—ऋषिकेश उत्तर में— डागर दक्षिण में—ग्राम बडकोट	सम्पूर्ण किनवानी बस्ती, कुम्हार खेडा बस्ती, राजकीय महाविद्यालय नरेन्द्र नगर, होटल महानन्दा, होटल वेस्टिन, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, कांडा गॉव का सम्पूर्ण क्षेत्र, हिण्डोलाखाल में सौरालया देवता का मन्दिर एवं इसके आस पास की दुकानें, बगरधार में मण्डी समिति, प्रस्तावित बस अड्डा, माउण्ट कॉमर्शल किरिचन एकेडमी स्कूल, सिटी ऑफ रोमान्स होटल तक का भू-भाग।
2	02	वन्देमातरम्	1024	पूर्व में— राजमहल पश्चिम में—बस स्टैण्ड उत्तर में—कुम्हार खेडा दक्षिण में—रीझ हाउस	डी०जी०बी०आर० कैम्प एवं डी०जी०बी०आर० कैम्प से नरेन्द्र नगर मोटर मार्ग की ओर आने वाले पैदल मार्ग के बायीं तरफ की सम्पूर्ण आवासीय बस्ती एवं हैंड पंप तक का क्षेत्र, पुराना मोटर गैराज, कुँवर कोठी, स्यारु खाला, राजमहल, होटल आनन्दा, डाक बंगला, धमांदा भवन, जल संस्थान का टैंक, मधुबन कॉलोनी, रेड कांस, वन्देमातरम्, हीरा आटा चक्की, सिविल जज निवास, कोर्ट परिसर, नन्दा गेस्ट हाउस, शिव मूर्ति, डंग निवास, एन०एच०-94 से पाथौ नामक तोक में पर्वतीय बिल्ड टैक प्रा० लि० रिसोर्ट, अमाया होटल तक का भू-भाग।
3	03	बाजार लाईन	960	पूर्व में— रेग्मी भवन पश्चिम में —बाजार लाईन उत्तर में—भण्डारी भवन दक्षिण में—बस स्टैण्ड	रेग्मी भवन से सन् व्यूह होटल के समीप समस्त बस्ती, पोस्ट ऑफिस एवं उसके आस-पास की बस्ती, नन्दी बैल के निकट भण्डारी भवन, बाजार लाईन, पुराना कलक्ट्रेट भवन, एफ-01 ब्लॉक, कोषागार, राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज, कवि भवन, रीझ हाउस, बी०एस०एन०एल० एक्सचेंज तक का भू-भाग।

4	04	सिविल लाईन	950	पूर्व में- डी0जी0बी0आर0 कैम्प पश्चिम में-सुमन चिकित्सालय उत्तर में- बेसिक स्कूल भवन दक्षिण में-बहुधन्दी भवन	सौंकारु खाला में राणा भवन, कैन्तुरा भवन, माणिक लाल का मकान, बारात घर, लो0नि0वि0 के भवन, पंवार भवन, तहसील परिसर, आबकारी भवन, निरंकारी भवन, राधा कृष्ण मन्दिर, आयुर्वेदिक चिकित्सालय, पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय, नेगी भवन, सम्पूर्ण राजस्व कॉलोनी एवं उसके आस-पास का क्षेत्र, डंगवाल भवन, झण्डा मैदान का समस्त क्षेत्र।
5	05	सुमन चिकित्सालय परिसर	850	पूर्व में- बाजार लाईन पश्चिम में-सुमन चिकित्सालय उत्तर में-वाल्मीकि बस्ती दक्षिण में-बस स्टैण्ड	उनियाल भवन, वाल्मीकि बस्ती, सुमन चिकित्सालय परिसर, ओल्ड पुलिस उपभोक्ता भण्डार एवं उसके आस-पास का क्षेत्र, पूर्व प्रतिसार निरीक्षक आवास, जिला क्षय रोग निवारण केन्द्र, ओल्ड जिलाधिकारी आवास, पावर हाउस, आटा चक्की (पुरानी), पैसेन्जर शैड, बस स्टैण्ड तक का भू-भाग।
6	06	बखरियाणा	856	पूर्व में- बाजार लाईन पश्चिम में-ग्राम तलाई उत्तर में-वाल्मीकि बस्ती दक्षिण में-उनियाल भवन	ओल्ड पुलिस मनोरंजन गृह, आशा किरण बृद्ध आश्रम, राजकीय इण्टर कॉलेज परिसर, जिला कीडा अधिकारी कार्यालय, पुराना राजस्व भवन, ओल्ड पुलिस लाईन (सैनिक क्षेत्र को छोड़कर), सम्पूर्ण बखरियाणा बस्ती, मंगल सिंह का मकान एवं उसके आस-पास के मकान तक का क्षेत्र।
7	07	क्लर्क क्वाटर	943	पूर्व में-ओल्ड कलक्ट्रेट भवन पश्चिम में-बखरियाणा बस्ती उत्तर में-सिविल लाईन दक्षिण में-विद्युत सब स्टेशन	बिजल्वाण भवन, उनियाल भवन, ओल्ड सुपरिटेण्डेंट क्वार्टर, पंत निवास, धीमान भवन, क्लर्कस क्वाटर, चौहान भवन, जोशी भवन, बिजल्वाण भवन, कुँजापुरी होटल, पुलिस थाना परिसर, रेंज कार्यालय, नौटियाल भवन, प्लास्टा चौकी, पॉलिटेक्निक संस्थान, विद्युत सब स्टेशन, पुरानी झील तक का क्षेत्र।

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार शुक्ल,

उप सचिव।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 30, 1946 शक सम्वत्)

भाग 1—क.

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

NOTIFICATION

November 06, 2024

No. 400/UHC/Admin.A-2/2024--Pursuant to the "High Court of Uttarakhand Information Technology (I.T.) Cadre Service (Third Amendment) Rules-2024" notified vide notification No. 396/UHC/Admin.A/2024 dated 04.10.2024; Shri Anoop Singh, 3rd Additional Civil Judge (Sr. Div.) Haridwar [attached as OSD/CPC, High Court] is hereby withdrawn from the post of 3rd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Haridwar as well as from the post of OSD/CPC, High Court of Uttarakhand, Nainital and posted as Joint Registrar (I.T.), High Court of Uttarakhand, Nainital on deputation basis until regular appointment of Joint Registrar (I.T.), High Court of Uttarakhand, Nainital through direct mode or till further orders, whichever is earlier In addition to his duties as Joint Registrar (I.T.), High Court of Uttarakhand, Nainital, Shri Anoop Singh will discharge function of CPC of High Court of Uttarakhand, Nainital.

Under the provisions of Para 7 of G.O. No. 292/XXXVI-A-1/2022-261/2022 dated 8th September, 2022 issued by the Law Section-1, Government of Uttarakhand, the salary and other allowances of Shri Anoop Singh will remain the same as he gets in his posting as Judicial Officer, as per cadre.

This order shall come into force with immediate effect.

By Order of Hon'ble the Acting Chief Justice,

Sd/-

KAHKASHA KHAN,

Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL**NOTIFICATION***November 07, 2024*

No. 401/XIV-a/42/Admin.A/2011--Shri Rahul Garg, the then 1st Additional District & Sessions Judge, Nainital, presently posted as Principal Judge, Family Court, Pauri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 14 days w.e.f. 23.08.2024 to 05.09.2024.

NOTIFICATION*November 07, 2024*

No. 402/XIV-a/43/Admin.A/2012--Ms. Tricha Rawat, Additional Civil Judge (Sr. Div.), Roorkee, Haridwar is hereby sanctioned child care leave for 13 days w.e.f. 09.09.2024 to 21.09.2024 with permission to prefix 08.09.2024 Sunday holiday & suffix 22.09.2024 as Sunday holiday.

NOTIFICATION*November 07, 2024*

No. 403/XIV/a-41/Admin.A/2013--Shri Sushil Tomar, the then Judge, Family Court Nainital, presently posted as Principal Judge, Family Court Nainital is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 15.07.2024 to 25.07.2024 with permission to prefix 14.07.2024 as Sunday holiday.

NOTIFICATION*November 07, 2024*

No. 404/XIV-a-42/Admin.A/2013--Shri Vinod Kumar, Additional District & Sessions Judge, Karnprayag District Chamoli is hereby sanctioned earned leave for 23 days w.e.f. 24.05.2024 to 15.06.2024 with permission to prefix 23.05.2024 as Buddha Purnima and suffix 16.06.2024 & 17.06.2024 as Sunday and Id-ul-Zuha holidays respectively.

NOTIFICATION*November 07, 2024*

No. 405/XIV/a-32/Admin.A/2021--Ms. Sneha Narang, the then 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Haridwar presently posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Haridwar is hereby sanctioned:

1.	Maternity leave (180 days)	20.11.2023 to 17.05.2024
2.	Child Care Leave (90 days)	18.05.2024 to 15.08.2024

NOTIFICATION*November 07, 2024*

No. 406/XIV-a-18/Admin.A/2009--Shri Vinod Kumar Burman, the then Chief Judicial Magistrate, Tehri Garhwal presently posted as Civil Judge (Sr. Div.), Rishikesh District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 12.02.2024 to 21.02.2024 with permission to prefix 10.02.2024 & 11.02.2024 as second Saturday & Sunday holidays respectively.

NOTIFICATION

November 11, 2024

No. 407/XIV/a-39/Admin.A/2017--Ms. Shalini Dadar, Civil Judge (Jr. Div.), Bhikyasen, District Almora is hereby sanctioned child care leave of 54 days w.e.f. 25.06.2024 to 17.08.2024 with permission to suffix 18.08.2024 & 19.08.2024 as Sunday and Raksha Bandhan holidays respectively.

NOTIFICATION

November 11, 2024

No. 408/XIV-a/48/Admin.A/2012--Shri Sandeep Singh Bhandari, the then 1st Additional Chief Judicial Magistrate, Dehradun presently posted as 2nd Additional Chief Judicial Magistrate, Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 05 days w.e.f. 20.08.2024 to 24.08.2023 with permission to prefix 18.08.2024 & 19.08.2024 as Sunday & Raksha Bandhan holiday and suffix 25.08.2024 & 26.08.2024 as Sunday & Janmashtami holidays respectively.

NOTIFICATION

November 11, 2024

No. 409/XIV-a-32/Admin.A/2020--Ms. Sanchi Agrawal, Additional Civil Judge (Jr. Div.), Bazpur District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 34 days w.e.f. 01.07.2024 to 03.08.2024 with permission to suffix 04.08.2024 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

November 11, 2024

No. 410/XIVa-31/Admin.A/2021--Ms. Harshita Sharma, 3rd Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 14 days w.e.f. 11.07.2024 to 24.07.2024.

NOTIFICATION

November 11, 2024

No. 411/XIV-a-28/Admin.A/2020--Ms. Jasmeet Kaur, Civil Judge (Jr. Div.), Ranikhet, District Almora is hereby sanctioned medical leave for 03 days w.e.f. 31.07.2024 to 02.08.2024.

NOTIFICATION

November 11, 2024

No. 412/XIV/a-28/Admin.A/2011--Shri Mohd. Yaqoob, Civil Judge (Sr. Div.), Tehri Garhwal is hereby sanctioned medical leave for 15 days w.e.f. 08.08.2024 to 22.08.2024.

NOTIFICATION

November 11, 2024

No. 413/XIV-73/Admin.A/2003--Shri Kanwar Amninder Singh, 1st Additional District & Sessions Judge, Haldwani District Nainital, is hereby sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 03.08.2024 to 14.08.2024.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

**OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL MEDICAL HEALTH & FAMILY
WELFARE (C.M.S.D. SECTION) UTTARAKHAND, DEHRADUN**

**NOTIFICATION NO 04/2024 (M)
RATE CONTRACT OF MEDICINES**

December 03, 2024

Letter No. 15 P/Store/55/2023/29177--In exercise of the power delegated in G.O. No 712/XXVIII-3-2019-15/2019 dated 27-09-2019 the rate contract of medicine mentioned in Annexure 'B' is made with the firms mentioned in Annexure 'A' for the supply in the state Government in Medical & Health services Department for the period ending on the following terms and conditions:

1. The firms shall made supplies in manufactures original packing as indicated in column-3 of *Annexure B* for name of makes unless
2. otherwise stated. The supplying firms will be required to clearly mention on the label the name of the manufacturer.
3. The firms will have to give a written warranty in accordance with drugs Act 1940 Rule 19 Para3 (8) to the effect that supplies confirm to the approved standard prescribed in the Drugs rule 1940 enforced and as given in this notifications.
4. Indenting Officers may place order direct on these firms as mentioned is attached Annexure A and B.

5. Delivery Schedule

The Purchaser requires that the medicine, surgical items and chemicals under the Rate Contract shall be delivered within six (06) weeks starting from the date of signing of the Purchase order.

6. All the Medicines/surgical items and chemicals to supply, shall not be older than 1/6th of interval of manufacturing and expiry date i.e. to say, if any medicine expires after 3 years of its manufacturing date, then at the time of supply the manufacturing date should not be more than 6 months old. Vaccines, biological products and imported medicines/surgical items, the remaining life should be 3/5th (60 %). In special circumstances, with approval of Director General, MH&FW, an exemption of 3 months may be accepted with the condition that if any of the item(s) may not be used before the date of expiry, the Bidder shall replace remaining quantity of such items, but remaining life of such items should be more than 50 %, for which Bidder had submitted an affidavit.

7. Packing of medicines/drugs/vaccines

- 6.1 Outside the cartons, all other type of packing's, each vials, ampoules, bottles, medicines & capsule's sterilized safe packing's, the supplier should clearly print U.K. GOVT. SUPPLY, NOT FOR SALE" with indelible ink.
- 6.2 The Supplier shall provide such packing of the Medicine, surgical items and chemicals as is required to prevent their damage or deterioration during transit to their final destination as indicated in the Contract. The packing shall be sufficient to withstand, without limitation, rough handling during transit and exposure to extreme temperatures, salt and precipitation during transit and open storage. Packing case size and weights shall take into consideration, where appropriate, the remoteness of the Medicine, surgical items and chemicals' final destination and the absence of heavy handling facilities at all points in transit.

6.3 The packing, marking and documentation within and outside the packages shall comply strictly with such special requirements as shall be provided for in the Contract including additional requirements, if any, and in any subsequent instructions ordered by the Purchaser.

8. Transportation

Where the Supplier is required under the Contract to transport the Medicine, surgical items and chemicals to a specified place of destination i.e. consignee within in Uttarakhand, transport to such place of destination/consignee in Uttarakhand including insurance, as shall be specified in the Contract, shall be arranged by the Supplier, and the related cost shall be included in the Contract Price.

9. Quality of medicines

8.1 The Supplier shall mandatorily submit in house test report at the time of supply of medicine(s), surgical item(s) and chemical(s) for all the batches.

8.2 All medicine, surgical items and chemicals found of below standard shall be the responsibility of the Supplier.

8.3 Samples of all the batches of medicine, surgical items and chemicals supplied under Contract, shall be tested at reputed Government approved laboratories/institution.

8.4 Maximum permissible limit of the size of tablets, capsules, injection, syrup, iv fluids etc shall be up to rupees 1.0 lakh quantity-2 batches, above 1.0 lakh and up to 3 lakh quantity-5 batches, above 3.0 lakh and up to 5 lakh quantity-7 batches and above 5.0 lakh, -1 batch per lakh quantity. The cost incurred on above quality testing shall be borne by the Purchaser. If Supplier supplies medicines beyond above limit, additional cost incurred on the quality testing shall be deducted from the Bills of the Supplier.

8.5 The Supplier supplying vaccines, serum and biological products shall mandatorily submit a quality assurance certificate from Government laboratory.

8.6 If supplied medicine, surgical items and chemicals are found below standard in testing, the supplier shall have to replace the full stocks of Indent / ordered medicine, surgical items and chemicals quantity, with fresh standard quality medicine, surgical items and chemicals, within 60 days, even if some part of the drug from received stock has been consumed.

8.7 Besides this, the Purchaser will be free to take actions against the Supplier for any compensation.

8.8 The Supplier may be blacklisted and/or debarred, for a product purchased by indenter, is declared SUB STANDARD, for producing wrong documents, non supply of medicine, surgical items and chemicals under contract or any other errors. The duration of blacklist and/or debar shall be for 3 years.

8.9 If supplied medicine, surgical items and chemicals are found of below standard in testing, in such case all the cost incurred in testing will be borne by the Supplier.

10. Payments

Payment for Medicine, surgical items and chemicals and Services shall be made as follows:

9.1 The Supplier's request(s) for payment shall be made to the Purchaser in writing, accompanied by an invoice in triplicate copies describing, as appropriate, the Medicine, surgical items and chemicals delivered and the Services performed, and upon fulfillment of other obligations stipulated in the contract.

9.2 In case the consignee is other than I/C Central Ware House Dehradun, then the invoice/bill, in triplicate should have receiving from the consignee(s), along with stock book page entry, duly verified, signed and stamped by consignee(s).

9.3 Ninety percent (90%) of the contract price shall be paid within one month of receipt of Invoice as described above of Medicine, surgical items and chemicals from the consignee (s)

9.4 The invoice shall be raised after complete supply of the Medicines, Surgical Items and Chemicals etc. as per the Purchase Order. Part payment will not be done for a Purchase Order.

9.5 From the supplied product the purchaser will collect samples of all batches on random basis and these samples shall be sent to the State government approved testing center Laboratories. After receiving the successful test results i.e. found of standard quality, the balance payment of 10% shall be released within 30 days.

9.6 After opening of each Bid and up to the Contract Period, any change in the tax rates shall be applicable as per the Government Orders.

9.7 Those manufacturer or supplier who does not have Depot/C&F in Uttarakhand, they can supply their product only after they enter into a contract with a local distributor, and will supply their product through such distributor. The bill will be accepted from distributor of Uttarakhand State only.

11. Delays in Supplier's performance

10.1 Delivery of the Medicine, surgical items and chemicals and performance of the Services shall be made by the Supplier in accordance with the time schedule specified by the Purchaser in the Schedule of Requirements/ purchase order.

10.2 If at any time during performance of the Contract, the Supplier or its sub-contractor(s) should encounter conditions impeding timely delivery of the Medicine, surgical items and chemicals and performance of Services, the Supplier shall promptly notify the Purchaser in writing about the fact of the delay, it's likely duration and its cause(s). As soon as practicable after receipt of the Supplier's notice, the Purchaser shall evaluate the situation and may, at its discretion, extend the Supplier's time for performance with or without liquidated damages, but to a maximum of 21 days.

12. Liquidated damages

If the Supplier fails to deliver any or all of the Medicine, surgical items and chemicals or to perform the Services within the period(s) specified in the Contract, the Purchaser shall, without prejudice to its other remedies under the Contract, 0.5% per week shall be deducted of the cost of Medicine, surgical items and chemicals on unperformed Services which are not supplied/performed as per the time schedule. Maximum deduction shall be 10 % of total cost of Contract amount and DG, Medical Health shall be intimated for, further actions which may be termination of the Contract and the Performance Security of the Bidder may be forfeited whole or proportionate.

13. Force majeure

(A) The Supplier shall not be liable to forfeit its performance security, liquidated damages or termination for default, if and to the extent that, it's delay in performance or other failure to perform its obligations under the Contract is the result of an event of Force Majeure.

(B) For purposes of this Clause, "Force Majeure" means an event beyond the control of the Supplier and not involving the Supplier's fault or negligence and not foreseeable. Such

events may include, but are not limited to, acts of the Purchaser either in its sovereign or contractual capacity, wars or revolutions, fires, floods, epidemics, quarantine restrictions and freight embargoes.

(C) If a Force Majeure situation arises, the Supplier shall promptly notify the Purchaser in writing of such conditions and the cause thereof. Unless otherwise directed by the Purchaser in writing, the Supplier shall continue to perform its obligations under the Contract as far as is reasonably practical, and shall seek all reasonable alternative means for performance not prevented by the Force Majeure event.

14. The supplying firms will Emboss/Print U.K.G Supply Not for Sale will be printed on each label of the Bottle/Vials/Strips/Boxes or Cartons etc. No supplies should be accepted if such embossing & Printing is not done on the supplies.
15. Every care has been taken to see that rates quoted and approved have been correctly notified in the Notification but in case of any discrepancy either in rates or in specification or any nature in other details, it will be the duty of the firm that they should intimate to the C.M.S.D. DG Medical Health under registered cover latest within a month so that necessary action may be taken.
16. The Firms while sending the bills will certify that the rates charged are applicable and have also been approved by the CMSD and in case of any default they are prepared to make adjustments.
17. The firms should also certify on the bills that the supplies are according to specification and the makes approved by the Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand and are in accordance with the latest DRUG ACT.
18. The attention of the Indenting Officers is drawn to the various lists of items published by the firms. It has been found that in some cases the firms includes unapproved items in their lists of approved items. It is responsibility of the Indenting Officers to consult the Gazette Notification before placing the actual order and see that the order for only approved items is placed. Such cases of misrepresentation should immediately be brought to the notice of Director General of Medical Health & F.W. Uttarakhand (CMSD) Dehradun sending copy of the list printed, by the particular firms. In case any firm is found doing so, strict action will be taken against them and their names will be deleted from Rate Contract without any notice to them and in addition they may be debarred.
19. No Assistance will be provided for release of the raw material or procurement of import license.
20. The Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand CMSD Dehradun reserves the right to call Tender for Quantity Contract or parallel Rate contract and also to finalize them at any time during the period of the rate contract.
21. It will be condition of the contract that although during the currency of the contract the price approved in this rate Contract arrangement will remain firm but however in the event of prices going down the contractor will promptly furnish such information to enable this office to amend the contracted rates for supplies at Rate lower than the rate contract, the attention of the firm is drawn to it.
22. Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun or his authorized representative may inspect the premises of the manufacturing units to assess and verify that the item quoted as own made are actually manufactured by them.
23. All supplies shall have to be made strictly confirming to approved specification in accordance with the latest drug Act and Drug Act 1940.
24. If, during the Contract period, the Firm under Contract supplies any Medicine(s), Surgical Item(s) or Chemical(s), to any individual, institution, organization, state or any department or organization of

- GoI and/or State at the rate lesser than the rate under Rate Contract, in such case the Firm shall immediately inform the Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun and supply at the same reduced rate. The above stipulation will not however apply
- a. Exports by the Contractor.
 - b. Sale of goods as original goods at a price lower than the price charged for normal replacement.
25. Supplies must be completed within six weeks (42 days) from the date of issue of the Purchase Order from the Indenting Officers. If the Firm does not supply within six weeks (42 days) time from the date of issue of the Purchase Order from indenting officer, a further period can be extended up to three weeks if the firm apply for such extension before the expiry of six weeks (42 days) time giving valid satisfactory reasons. In case of non supply, the names of such defaulting firms should be intimated to CMSD section of the Directorate by registered post so that the necessary action against the firm.
26. All supplies shall be made as per IP/ BP or USP/ BPC whenever this has been Omitted due to printing error wise it shall be or other as per IP and in its absence BP taken for all purpose that supplies are to make as per IP.
27. Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun authorizes the Drug controller of the State his access him to prosecute and take suitable action against firms defaulting as per drug act or per terms of contract.
28. During the pendency of contract if the license is withdrawn or any other action is taken by Drug Controller or his agent etc. the contract shall automatically come to a close with the firm. Against whom the action is being taken, firms shall see that they have valid drug license for the products approved in their favour and which they may supply during its pendency else they themselves shall be responsible for the same.
29. In the event of the prices being gone down the contracting firm may please intimate the same to the Director General Medical of Health services Uttarakhand Dehradun immediately for issuing necessary corrigendum in this regards and they will also charge the reduced rates from the Indenting Officers of the State. In case such information is received from the contracting firm that they are selling items approved in their favour at reduce rates either in open market or anywhere else. The Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun reserves the right to cancel the items of entire contract finalized with them and to debar the firm from further tendering.
30. This contract shall exclusively be governed by the terms and conditions mentioned in this notification the relevant conditions mentioned in the tender notice CMSD, tender form and relevant conditions mentioned in the agreement form (sent to the firm along with acceptance letter separately)
31. The Indenting Officers are advised to report the damages /defects notice in supplies to suppliers for notification repair replacement as the case may be, within fifteen days of the receipt / of the material.
32. In case of any complaint against the supplier for delay in supplies or defective supplies etc. The Indenting Officers are advised to report the matter under registered post to the Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun (CMSD) Section promptly for necessary action by registered post/e-mail.

NOTIFICATION No. 04/2024 [M]

Enclosure of Notification no. 15P/Store/55/2023/29178

Dated 03 December, 2024

ANNEXURE 'A'

SN	Name of Firm	Phone No./Fax No. & E-mail
1	M/s. SD Biosensor Health Care Pvt. Ltd. Plot no. 63, Udyog Vihar, Phase-IV, Gurugram-122015.	Tel no/(M no.) :: (91) 124-454-0907 e-mail: care@sdbiosensor.co.in

ANNEXURE 'B'

Enclosure of Notification no. 15P/Store/55/2023/ 29178

Dated: 03 December, 2024

List of medicines/items approved in Rate Contract, validity period and description of Consignee

VALID FROM 27-08-2024 to 26-08-2026.

SN	Name of medicines	Pack form	Name of firm	Rate per unit (per tab/Cap/amp/vial /phial/bottle) without taxes at F.O.R. Destination in Uttarakhand (In INR only)	Tax/Duties (INR)	Rate per unit (per tab/Cap/amp/vial /phial/bottle) With Tax for F.O.R. Destination in Uttarakhand (including all taxes) (in INR only)	Consignee/ State Drug Ware House
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dual Test Kit for HIV & Syphilis with Lancet and Alcohol Swab. Each Box Contains: 50 Dual Test Kits HIV Syphilis, 50 Lancet and 50 Alcohol Swab	50 Each	S.D. Biosensor Health Care Pvt. Ltd. Gurugram-122015	997.50	49.88	1047.38	F.O.R

TARA ARYA,
Director General.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 51 हिन्दी गजट/555-भाग 1-क-2024 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 30, 1946 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मैं DHIRANDERA KUMAR ARMY NO 103375W मेरे आर्मी रिकार्ड में त्रुटिवश मेरी पत्नी का नाम (REENA RANI JUYAL) दर्ज हो गया है। जो कि गलत है, जबकि मेरी पत्नी का वास्तविक नाम (REENA JUYAL) हैं, भविष्य में मेरी पत्नी को (REENA JUYAL) W/O (DHIRANDERA KUMAR) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

DHIRANDERA KUMAR
निवासी अभिनन्दन विला नियर 2
नकरौंदा, टब्वेल, गूलरघाटी रोड,
नियर सेकेंड चाइल्ड अकादमी स्कूल
बालावाला देहरादून, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 409595267735 में उसका नाम गलती से विक्रान्त सिंह दर्ज हो गया है जबकि मेरे पुत्र का सही नाम त्रिदेव कुमार है अब उसे इसी नाम से जाना पहचाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अरुण कुमार

निवासी 22/1 टाईप-2 बरफखाना
कालोनी रुड़की, जिला हरिद्वार।

सूचना

मेरे पी०पी०ओ० No. 168197800164 में त्रुटिवश मेरा नाम NARENDRA SINGH KANDARI दर्ज हो गया, जो कि गलत है। जबकि मेरा वास्तविक नाम NARENDRA SINGH है। भविष्य में मुझे NARENDRA SINGH S/O VEER SINGH के नाम से जाना पहचाना, पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

NARENDRA SINGH S/O VEER SINGH
निवासी लंगासू चमोली, उत्तराखण्ड।

सूचना

मैं श्रीमती अंजू देवी मैंने अपने पुत्र का नाम सौम्या सिंह से बदलकर (नया नाम) शशांक रावत कर लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को शशांक रावत (नया नाम) पुत्र श्री धर्मपाल सिंह के नाम से जाना जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अंजू देवी

निवासी 11ए, टर्नररोड, क्लेमेन्टाउन देहरादून।

सूचना

मेरे हाईस्कूल शैक्षिक प्रमाण-पत्र अनुक्रमांक सं० 0480066 में मेरा नाम शूरवीर लाल (Shurbeer Lal) दर्ज है और मेरे आधार कार्ड नं० 478325811837 व पेनकार्ड नं० AJRPL7363B में मेरा नाम शूरवीर लाल श्रीवान दर्ज है। लेकिन अब निजी कारणों से मैं अपना नाम उक्त नामों को बदलकर शूरवीर श्रीवान करना चाहता हूँ। भविष्य में मुझे शूरवीर श्रीवान पुत्र श्री गौर दास के नाम से जाना व पहचाना व पुकारा जाए। समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

शूरवीर श्रीवान पुत्र श्री गौर दास
निवासी ग्राम हडियाणा मल्ला
पोस्ट खोली तहसील घनसाली,
जिला-टिहरी गढ़वाल।

सूचना

मैंने अपना नाम रविन्द्र ध्यानी से बदलकर रवि ध्यानी रख लिया है। भविष्य में रविन्द्र ध्यानी को रवि ध्यानी के नाम से जाना जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

रवि ध्यानी पुत्र स्व. देवीदत्तध्यानी
निवासी 203 चुक्खुवाला-II
देहरादून।